(11)-4

306

पत्रांक-बि०प्र०सु०मि०सो०/लेखा-07/2024, सो०-2631

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

डॉ० प्रतिमा,
अपर मिशन निदेशक,
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 18/11/2024

विषयः **बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को लैपटॉप/ टैबलेट/ आईपैड एवं एसेसरीज के क्रय की सुविधा हेतु निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा के संबंध में।**

प्रसंगः इस कार्यालय का पत्रांक-2587, दिनांक-28.10.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को लैपटॉप/ टैबलेट/आईपैड क्रय की सुविधा हेतु लैपटॉप/ टैबलेट/ आईपैड के क्रय की तिथि को संबंधित बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी की आयु 55 (पचपन) वर्ष से अधिक नहीं रहने का मापदण्ड निर्धारित किया गया था।

इस संबंध में सूचित करना है कि दिनांक-18.11.2024 को मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष शासी परिषद, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी की अध्यक्षता में हुई बैठक के कार्यावली बिन्दु-7 में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को लैपटॉप/ टैबलेट/आईपैड एवं एसेसरीज के क्रय की सुविधा के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा (55 वर्ष) को शिथिल करते हुए 57 (सन्तावन) वर्ष करने की स्वीकृति दी गई है।

विश्वासभाजन
18/11/24
(डॉ० प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक

D:\Vijay Data\...\EXE AMD\Letter - Copy.docx

A-5